दावा
3/2024

लालीलाल M/S उमादत्त कोठ

11-5-22

वकालतनामा पेश हुई व स्वीकृत वादी
द्वारा पेश मुआयना के लिये
Regd. no. 67-KZ/SD 20.6.22 से पेश

ह0 उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

20/6/22

वकालतनामा पेश हुई। व स्वीकृत वादी द्वारा
वकालती नहीं की गई है पेश हुआ
मुआयना साथ है।

ह/पेश कर्ता उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

9/10/22

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य
स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त
होने से जनरल तारीख पेशी हो गई थी
आदेश की पालना में दिनांक 06/09/22
को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

6/9/22

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य
स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त
होने से जनरल तारीख पेशी हो गई थी
आदेश की पालना में दिनांक 19/10/22
को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

7/9/22

पत्रावली प्रार्थी/वादी द्वारा प्रारंभिक दावा
पत्रावली लम्बित विद्रो करने का प्रस्तुत करने
पर पेश हुई। प्रार्थी/वादी द्वारा दावा विद्रो
करने बाबत निवेदन किया। इस बाबत
कोर्टफीस पर हस्ताक्षर किये गये। वकील
वादी द्वारा पहचान की गयी। अतः प्रार्थी/
वादी द्वारा प्रारंभिक के आधार पर दावा विद्रो
किये जाने बाबत अनुमति प्रदान की जाती है
तथा प्रकरण की कार्यवाही इसी स्तर पर

डायरी

3291/2021

हुक्म या कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण

कैलाश चंद्र शर्मा को

समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसला सुनाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

कैलाश

IW